PBR/निगरानी/उज्जैन/भू-रा/2017/1927

न्यायालय माननीय सदस्य राजस्व मण्डल, ग्वालियर कैम्प उज्जैन (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /2017 निगरानी

भैरूलाल पिता श्री मूलाजी जाट, आयु 70 वर्ष, धंधा खेती, निवासी–ग्राम कलालखेड़ी तहसील नागदा जिला उज्जैन (म.प्र.)
-----निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1– मांगु उर्फ मांगीलाल पिता श्री नंदाजी, आयु 70 साल, धंधा खेती,

2– अनोखीलाल पिता श्री रामाजी, आयु 45 वर्ष, धंधा खेती, निवासीगण – ग्राम कलालखेड़ी तहसील नागदा जिला उज्जैन (म.प्र.) ---अनावेदकगण

श्री बृजपाल सिंह सोलंकी अभि. द्वारा कैम्प उज्जैन प्रस्तुत
23-6-17

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 भू.रा.सं. के निगरानी आवेदन पत्र

अधीनस्थ न्यायालय अपर तहसीलदार महोदय टप्पा उन्हैल तहसील नागदा जिला उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रं. 7/अ–13/2016–17 मेयं पारित आदेश दिनांक 16–06–2017 से असन्तुष्ट व दु:खी होकर यह निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत है।

Solanki
21-7-17

माननीय महोदय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी **पीबीआर/निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2017/1927** जिला उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–7–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 16.6.2017 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा आवेदक का व्यवहार प्रकिया संहिता के ओदश 7 नियम 11 का आवेदन पत्र इस निष्कर्ष के साथ निरस्त किया गया है कि कलेक्टर के आदेश में कहीं भी रास्ता बंद करने का उल्लेख नहीं है, केवल नक्शा दुरूस्त किया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता नहीं है । फलस्वरूप निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	